

95



न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका क्र. /2012.

आवेदकगण

1. राजेन्द्र प्रसाद खरे उम्र लगभग 63 वर्ष, आत्मज स्व. कृपाशंकर खरे
  2. अमित कुमार खरे उम्र लगभग 25 वर्ष
  3. आशीष कुमार खरे उम्र लगभग 23 वर्ष
- दोनों आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे सभी निवासी ग्राम अमखेरा तहसील पनागर जिला जबलपुर

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. किशनलाल खरे उम्र लगभग 68 वर्ष, आत्मज स्व. श्री कृपाशंकर खरे निवासी- अधारताल आटा चककी के पास जवाहर नगर अधारताल जबलपुर
2. श्रीमती शीलाम खरे वेबा पत्नी स्व. रामकिशन खरे निवासी पोस्ट आफिस के पास रावत जी का मकान गढ़ा कोटा सागर
3. श्रीमती लक्ष्मी बाई श्रीवास्तव वेबा पत्नी श्री पी.के. श्रीवास्तव निवासी- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड-2 कुडला कटनी

राजस्व पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदकगण राजस्व प्र.क्र. 2645/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2012 से विक्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-


1- यह कि कृपा शंकर खरे और उसके तीन पुत्र ग्राम कठौदा में स्थिर लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि के संयुक्त स्वामी थे कृपाशंकर के निधन के बाद उनकी बेवा पत्नी पार्वती बाई एवं उनके तीनों पुत्र किशन लाल, रामकिशन एवं राजेन्द्र प्रसाद के बीच आपसी वटवारा हो गया था

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-883-एक/12

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u></p>	